संo–919 /IV(2)-शoविo–09–390(सा0)/04

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–3| जुलाई, 2009

विषय : नगर पंचायत, हरबर्टपुर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1869/V–शoवि–05–390(सा0)/2004 दिनांक 14–9–2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, हरबर्टपुर के अन्तर्गत रू0 34.62 लाख की प्रशासकीय प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801/V–शoवि0–06–166(सा0)टी0सी0/03 दिनांक 29–3–2006 के माध्यम से रू0 25.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबर्टपुर के पत्र संख्या 719/अव0निधि0 (मु0घो0)/2009–10 दिनांक 27–6–2009 के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र में 3 कार्य, क्रमशः क्र0सं0–3 रू0 0.58 लाख, क्र0सं0–16 रू0 1.37 लाख तथा क्र0सं0–20 रू0 0.69 लाख विवादित होना अवगत कराया गया है, जिसकी कुल धनराशि रू0 2.64 लाख होती है, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14–9–2005 के माध्यम से स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 8.65 लाख में से विवादित कार्यो को अस्वीकृत करते हुए इनके लिए उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 14–9–2005 में अवमुक्त रू0 2.64 लाख की धनराशि का समायोजन करते हुए स्वीकृति हेतु अब अवशेष **रू0–6.01 (रूपये छः लाख एक हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **रू0–6.01 (रूपये छः लाख एक हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 1869/V–शoवि–05–390(सा0)/2004 दिनांक 14–9–2005 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
6. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

7. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2010 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
11. ~~अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति शासन तथा शहरी विकास निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।~~

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित ~~विकास आयोजनागत–191–~~स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी ~~विकास~~ प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–~~03~~–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना ~~सुविधाओं~~ का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 251/XXVII(2)/2009, दिनांक– 23 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0– 919 (1)/IV(2)-श0वि0–08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, ~~बमोली~~। देहरादून
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, **हरबर्टपुर।**
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।